मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 19/01/2026 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--००--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल में प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्री तथा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ मंत्रालय में स्थित वीडियो कान्फ्रेंस कक्ष क्रमांक 117 में मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 19/01/2026 दोपहर 02:30 बजे से आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर प्रबंध संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, अधीक्षण यंत्री, उप संचालक, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक एवं तकनीकी कार्यालयों से कार्यपालन/सहायक यंत्री तथा विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों से मंडी सचिव उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

1. भावांतर अंतर्गत सी.एम.हेल्पलाईन एवं सार्थक एप पर उपस्थिति:-

भावांतर की शिकायतों के संबंध में सी.एम.हेल्पलाईन पोर्टल अंतर्गत सचिवों के लॉगईन आई.डी. पर व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है सभी मंडी सचिव उक्त का पोर्टल पर स्वंय अवलोकन करें। किसानों की पात्रतानुसार प्रकरण पर कार्यवाही पूर्ण करें। एल-3 पर लगभग 3618 शिकायतें लंबित हैं जिन शिकायतों पर एल-2 स्तर पर कार्यवाही नहीं हुई है उन शिकायतों को वापस एल-2 पर कार्यवाही पूर्ण कराने के लिए अंतरित करें। 31 जनवरी 2026 तक की समय-सीमा में भावांतर अंतर्गत शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश हैं। सी.एम.हेल्पलाईन की शिकायतों में मंडी समिति पथरिया की 438 सबसे अधिक शिकायतें है, देवास 268, गंज बासौदा 214, इंदौर 204, मंडी समिति उज्जैन 197, नरसिंहगढ 156, मंडी समिति पचोर 149, सीहोर की 138 शिकायतें हैं। समस्त संयुक्त संचालक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य की मॉनिटरिंग करें एवं समय-सीमा में शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करें।

सार्थक एप उपस्थिति दर्ज करने के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सभी आंचलिक अधिकारी एवं तकनीकी संभागों के अधिकारी तथा मंडी सचिव सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी/कर्मचारी समयानुसार सार्थक एप में उपस्थिति दर्ज करें एवं ई-एच.आर.एम.एस अंतर्गत कर्मचारियों की जानकारी की प्रविष्टी पूर्ण कराए जाने के निर्देश हैं।

2. उपार्जन केन्द्रों की मंडीवार प्रविष्टी:-

उपार्जन केन्द्रों की मंडी क्षेत्रवार प्रविष्टी गुगल शीट पर किए जाने के निर्देश है मंडी सचिव संबंधित कृषि अधिकारी एवं खाद्य विभाग के अधिकारी के साथ समन्वय कर उपार्जन केन्द्रों की जानकारी गुगल शीट पर प्रविष्टी कराएं।

3. <u>अनुबंध निरस्तीकरण पर प्रभावी कार्यवाही:-</u>

मंडी समितियों में अनुबंध निरस्तीकरण की समीक्षा में यह पाया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में अनुबंध निरस्तीकरण की संख्या में वृद्धि हुई है। 01 अप्रैल 2025 से 31 दिसम्बर 2025 की स्थिति में बैरसिया मंडी में 4353 अनुबंध, शुजालपुर में 9200 एवं अशोकनगर में 21,000 तथा आष्टा में 6,368 अनुबंध उक्त अवधि में निरस्त किए गए हैं एवं अन्य मंडियों में भी अनुबंध निरस्तीकरण की संख्या में वृद्धि हुई है। उक्त मंडियों हेतु टीम बनाकर ऑडिट कराएं एवं 04 दिवस में रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश हैं। अनुबंध निरस्तीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ बनाने के निर्देश हैं।

4. <u>भावांतर भुगतान योजना के संबंध में सुझाव:-</u>

मंडी सचिवों एवं आंचलिक कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा भावांतर भुगतान योजना के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए जिसमे आंचलिक कार्यालय सागर के संयुक्त संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि किसान को पंजीयन के समय विकल्प दिया जाए कि वह किस मंडी समिति में फसल विक्रय करना चाहता है, सिकमी का पंजीयन उसी समय निश्चित किया जाए, मंडी में किसानों का प्रवेश आधार से लिंक मोबाइल नबंर में ओटीपी के माध्यम से किया जाए। मंडी सचिव विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि पंजीयन में नॉमिनी का कॉलम अनिवार्य रूप से भरे जाएं। मंडी सचिव खंडवा द्वारा सुझाव दिया गया कि किसानों की फसल की सेटेलाइट मैपिंग कराई जाए। मंडी सचिव देवास द्वारा सुझाव दिया गया कि किसान के एक से अधिक जिलों में पंजीयन होने पर किस पंजीयन का विक्रय मंडी समिति में करना चाहता है, विकल्प की सुविधा उपलब्ध कराई जाए एवं अन्य सुझावों के संबंध में समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संभागीय कार्यालय स्तर से सभी आवश्यक सुझाव 07 दिवस में मुख्यालय प्रेषित करें।

5. <u>आय-आवक एवं निरीक्षण की कार्यवाही:-</u>

संभागवार मंडियों के आय-आवक की समीक्षा की गई। भोपाल संभाग की प्रगामी आय माह अप्रैल से दिसबंर में 05.98% ऋणात्मक रही, इंदौर संभाग में 07.21% ऋणात्मक, उज्जैन 02.71% ऋणात्मक, एवं जबलपुर संभाग 13.72% ऋणात्मक आय में रही है। भोपाल संभाग अंतर्गत सीहोर मंडी की प्रगामी आय 06.58% ऋणात्मक, बैतूल की 11.02% ऋणात्मक, बरेली 12.67% ऋणात्मक, विदिशा 13.23% ऋणात्मक, हरदा 13.94% ऋणात्मक, इटारसी 18.09% ऋणात्मक, बानापुरा 20.71% ऋणात्मक, टिमरनी 27.64% ऋणात्मक एवं पिपरिया की आय 30.36% ऋणात्मक रही है। भोपाल संभाग की "ख" वर्ग की मंडियों में औबेदुल्लागंज 02.30% ऋणात्मक, खिरकिया 16.73% ऋणात्मक, नसरूल्लागंज 24.72% ऋणात्मक रही है एवं "ग" वर्ग की मंडियों में रेहटी 48.84% ऋणात्मक, बनखेडी 34.38% ऋणात्मक, बकतरा 25.58% ऋणात्मक, सेमरीहरचंद 20.45% ऋणात्मक। इंदौर संभाग अंतर्गत "क" वर्ग की मंडियों की समीक्षा में इंदौर मंडी की प्रगामी आय 36.37% ऋणात्मक, "ख" वर्ग में बुरहानपुर 09.07% ऋणात्मक। उज्जैन संभाग अंतर्गत प्रगामी आय में "क" वर्ग की मंडी समितियों में शुजालपुर 14.59% ऋणात्मक, रतलाम 25.90% ऋणात्मक, मंदसौर 35.79% ऋणात्मक, "ख" वर्ग की मंडियों

में शाजापुर 19.29% ऋणात्मक, सैलाना 31.10% ऋणात्मक, पिपल्या 45.58% ऋणात्मक रही हैं। ग्वालियर संभाग की मंडियों में कोलारस मंडी की प्रगामी आय 12.81% ऋणात्मक, आरोन 19.23% ऋणात्मक हैं, "घ" वर्ग की मंडियों में अम्बाह 04.89% ऋणात्मक, पोरसा 07.21% ऋणात्मक, विजयपुर 11.79% ऋणात्मक, सबलगढ 12.07% ऋणात्मक, शाडोरा 15.67% ऋणात्मक, पिपरई 18.01% ऋणात्मक रही हैं। जबलपुर संभाग की प्रगामी आय अंतर्गत मंडी समिति जबलपुर 22.21% ऋणात्मक, छिंदवाडा 31.50% ऋणात्मक, सिहोरा 34.76% ऋणात्मक रही है साथ ही गोटेगांव 15.22% ऋणात्मक, नरसिंहपुर 17.63% ऋणात्मक, सिवनी 19.49% ऋणात्मक, शाहपुरा भिटोनी 28.50% ऋणात्मक एवं सौंसर 42.66% ऋणात्मक रही है। सागर संभाग अंतर्गत प्रगामी आय में जेसीनगर 25.62% ऋणात्मक, केसली 22.09% ऋणात्मक, अजयगढ 11.37% ऋणात्मक रही है। मंडी समिति बैतूल, छिंदवाडा, पिपरिया,जबलपुर, टिमरनी को आय में कमी के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें। आंचलिक कार्यालयों के निरीक्षण दल द्वारा अधिरोपित दंड राशि के विरूद्ध वसूल की गई राशि में काफी अंतर परिलक्षित हो रहा, अधिरोपित दंड राशि पर पूर्ण कार्यवाही करने के निर्देश हैं।

<u>अन्य महत्वपूर्ण निर्देशः-</u>

- न्यायालयीन अवमानना प्रकरणों की समीक्षा की गई। जवाबदावा हेतु शेष प्रकरणों की स्थिति में जबलपुर में 5, ग्वालियर में 02, इंदौर में 05 उज्जैन में 02 रीवा में 01 इस प्रकार कुल 15 प्रकरण हैं। इसी प्रकार जवाबदावा प्रस्तुतिकरण की स्थिति में 34 प्रकरण लंबित हैं। न्यायालयीन प्रकरणों अंतर्गत रिप्लाई फ़ाईल लंबित नहीं रखा जाए एवं समय पर ही पूर्ण कार्यवाही कराए जाने के निर्देश हैं।
- कार्यपालन यंत्रियों को निर्देशित किया गया कि मंडियों में अनावश्यक एवं निम्न गुणवत्ता का निमार्ण कार्य नहीं किया जाए।
- ई-नाम भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है इसके अंतर्गत प्रविष्टी का कार्य मंडियों द्वारा किया जाए एवं आंचलिक अधिकारी इस कार्य की मॉनिटरिंग करें अप्रेल 2025 से दिसंबर 2025 तक ई-नाम पोर्टल पर शून्य प्रविष्टी वाली मंडियों को नोटिस जारी किए जाएं।
- आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संभागीय स्तर पर आयोजित बैठकों में मुख्यालय स्तर पर दिए गए निर्देशों के बिंदु रखें जाएं।
- निरीक्षण की कार्यवाही सुदृढ करें एवं मंडियों की आय बढाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश हैं।
- सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण पर कार्यवाही समय-सीमा में करने निर्देश दिए गए।

धन्यवाद ज्ञाप के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुमार पुरूषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/VC/जनवरी/**2026**/2374 भोपाल, दिनांक 27/01/2026

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. अपर संचालक(वित्त), म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक(समस्त)/अधीक्षण यंत्री(समस्त), म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/ सहायक यंत्री (समस्त), म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
7. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन बिंदुवार तैयार कर 07 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तदनुसार आगामी वीडियों कॉफ्रेंस समीक्षा बैठक में पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की जा सके।
8. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।
9. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति-(समस्त) मध्यप्रदेश।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Digitally signed by
Kumar Purushottam
Date: 23-01-2026
17:55:17